

## कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- मिस-9/अनु.8/डी-3157

दिनांक :- 6-2-17

परिपत्र

समय-समय पर विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्मिक विभाग, इस विभाग एवं अन्य विभागों द्वारा प्रारम्भ की गयी विभागीय जांच दण्डादेशों एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/पुलिस प्रकरणों की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि एवं दण्डादेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए विभाग के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है।

विभागीय जांच दण्डादेशों एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/पुलिस प्रकरणों की प्रविष्टि एवं अनुपालना नहीं होने पर अनेकों बार न केवल असमंजसपूर्ण स्थित का सामना करना पड़ता है वरन अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रकरण भी विलम्बित होते हैं। अतः उक्त निर्देशों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित की जावे। अनुपालना नहीं होने पर सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे। अति. मुख्य अभियन्ता, सानिवि संभाग प्रकरण की मानिट्रिंग स्वयं के स्तर पर सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय

—  
( शिव लहरी शर्मा )

मुख्य अभियन्ता एवं अति० सचिव

प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रबन्ध निदेशक, आर.एस.आर.डी.सी.सी, लि०, जयपुर।
2. अति. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, संभाग-समस्त। विद्युत् एवं यांत्रिक साहित्य,
3. अधीक्षण अभियन्ता एवं तकनीकी सहायक प्रथम, मुख्य अभि.कार्यालय, सा.नि.वि., जयपुर को उपरोक्तानुसार सम्बन्धित के निजी रिकार्ड में संधारण एवं अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु।
4. अधीक्षण अभियन्ता, सानिवि वृत्त-समस्त।
5. अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय), मुख्य अभियन्ता कार्यालय, सानिवि, जयपुर।
6. अधिशाषी अभियन्ता, सानिवि खण्ड-समस्त।
7. गार्ड फाईल।

✓ 8. संयुक्त निदेशक (IT) ला. अ. वि. को

विभाग की साईट पर अपलोड करने हेतु

मुख्य अभियन्ता एवं अति० सचिव